न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 36/2018 अपील

मीरा पत्नी सोजीराम मीणा निवासी भाव का गुढा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 661/2017 निर्णय दिनांक 14.11.2017

उपस्थित –
श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 661/2017 निर्णय दिनांक 14.11.2017 के खिलाफ दिनांक 19.02.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का बिजेठा तहसील जहाजपुर ने अपीलार्थी द्वारा ग्राम भाव का गुढा के आराजी नम्बर 835/603 रकबा 3.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर फसल ज्वार , पडत फसल काश्त कर कब्जा किया है। इस अतिक्रमण मामले में अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्व मामला दर्ज कर धारा 91 नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 14.11.2017 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को 15 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया व उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश व शास्ति लगान 1.50 का 50 गुणा 75/–रू. अधिरोपित कर मौके से बेदखल करने का निर्णय पारित किया जिससे व्यथीत होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिये गये निर्णय / दण्ड आदेश पारित करने में कानूनी

भूल की है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया व अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय दण्ड आदेश पारित किया जो अपास्त योग्य है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी पर अपना कब्जा नहीं होने व कब्जा छोड़ देने के बावजूद भी पटवार हल्का रिपोर्ट आधार पर उक्त निर्णय / दण्ड आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलार्थीया गरीब महिला होकर कृषक हैं और कृषि ही अपीलार्थीया और उसके परिवारजन का जिविकोपार्जन का साधन हैं । अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाने का आदेश प्रदान फरमावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.02.2018 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी पर अपना कब्जा नहीं होने व कब्जा छोड़ देने के बावजूद भी पटवार हल्का रिपोर्ट आधार पर उक्त निर्णय / दण्ड आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय /दण्ड आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित कार्यवाही समाप्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मीरा पत्नी सोजीराम मीणा निवासी भाव का गुढ़ा के द्वारा ग्राम भाव का गुढ़ा के आराजी नं. 835/603 रकबा 195.06 बीघा भूमि किस्म गे.मु. पहाड़ में से 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 661/2017 दर्ज कर धारा 91 नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर मीरा पत्नी सोजीराम मीणा द्वारा विगत वर्ष में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 15 दिवस के सिविल कारावास एवं शास्ति 75/–रू. से दिनांक 14.11.2017 को

दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। उक्त अतिक्रमण आराजी नं. 835/603 बिलानाम सरकार किस्म गे.मु. पहाड़ की होकर आवंटन नियमन योग्य भी नहीं है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि वर्तमान में उक्त आराजी नं. 835/603 रकबा 3.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म गे.मु. पहाड़ दर्ज रिकार्ड है । अतिक्रमी का उक्त अतिचार पश्चातवर्ती होकर विगत वर्ष भी अतिक्रमी ने उक्त भूमि पर अतिचार किया। जिसकी मिसल कायम कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने एवं शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली नामा प्रस्तुत कर भौतिक रूप से बेदखल किया परन्तु अतिक्रमी ने उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण कर लिया । उक्त आराजी किस्म गे.मु. पहाड़ भूमि है । अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 835/603 रकबा 3.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 75/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है। अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भाव का गुढा पटवार हल्का बिजेठा तहसील जहाजपुर की आराजी सं. 835/603 रकबा 03.00 बीघा भूमि पर कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया हैं तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। भविष्य में कोई कब्जा नहीं अपीलाण्ट नहीं करेगा । अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में तहसीलदार जहाजपुर

स्वयं अतिक्रमणसुदा भूमि का मौका निरीक्षण कर यह सत्यापन करे कि अतिक्रमी द्वारा ग्राम भाव का गुढा तहसील जहाजपुर की आराजी सं. 835/603 रकबा 3.00 बीघा किस्म गे.मु.पहाड़ अतिक्रमणसुदा भूमि से मौके से कब्जा हटा लिया हैं या नहीं । यदि उक्त आराजी व क्षैत्रफल से अपीलार्थी /अतिक्रमी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 15 दिन के सिविल कारावास की सजा माफ की जाना न्यायोचित हैं और अधीनस्थ न्यायालय का अन्य आदेश यथावत रहने योग्य हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण सं. 661/2017 को तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त होने से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार जहाजपुर को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 661/2017 में अतिक्रमी मीरा पत्नी सोजीराम मीणा निवासी भाव का गुढा तहसील जहाजपुर द्वारा ग्राम भाव का गुढा तहसील जहाजपुर की आराजी सं. 835/603 रकबा 3.00 बीघा भूमि किस्म गे.मु. पहाड़ भूमि से मौके से कब्जा हटा लिया हैं या नहीं उसका सत्यापन स्वयं करें । यदि उक्त आराजी व क्षैत्रफल से अपीलार्थी /अतिक्रमी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है तो 15 दिन के सिविल कारावास की सजा माफ की जाती हैं व अन्य आदेश यथावत रहेगें । यदि अतिक्रमण हटाया जाना प्रमाणित नहीं होता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 661/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2017 यथावत रहेगें। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/5/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा